नाबालिग के लिए नाम परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश

भारत के राजपत्र भाग-IV में अभिभावकों द्वारा अपने बच्चे का नाम परिवर्तन, उपनाम जोड़ने या हटाने के संबंध में विज्ञापन हेतु सूचना।

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) अभिभावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन पत्र।
(ii) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति
(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ
(iv) साक्षी साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर एम एस वर्ड में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी एवं हस्ताक्षर के स्थान पर अभिभावक का नाम टाइप करें।
(v) आवेदक और बच्चा द्वारा स्वयं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकोपी (स्वयं सत्यापित)
(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।
(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

भारत के साप्ताहिक राजपत्र भाग-IV में नाबालिग के लिए नाम परिवर्तन के लिए निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

1. संबंधित व्यक्ति यानी पिता या माता में से किसी एक को दैनिक प्रमुख समाचार पत्र में अपने नाबालिग बेटे/बेटी के नाम में परिवर्तन की सूचना देनी होगी, जिसमें आवेदक की पूरी पहचान यानी उसका नाम, पिता का नाम/पति का नाम आवासीय पता और बच्चे की आयु सहित नाम देना होगा। उपरोक्त अधिसूचना युक्त समाचार पत्र का पूरा पृष्ठ इस विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. अभिभावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन/शपथ पत्र जिसमें आवेदक का आवासीय पता और बच्चे की उम्र सहित पूरा विवरण दर्शाया गया हो, इस विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विदेश में रहने वाले भारतीयों के मामले में, उन्हें संबंधित भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग द्वारा विधिवत सत्यापित घोषणा पत्र की मूल प्रति इस विभाग को जमा करनी होगी।
3. संलग्न नमूने में निर्धारित मुद्रण सामग्री को एक अलग सादे कागज पर टाइप करके और दो प्रतियों में दो गवाहों के साथ नाबालिग के अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित करके विधिवत रूप से पूर्ण सॉफ्ट कॉपी (सीडी एमएस वर्ड में) के साथ जमा किया जाना चाहिए। प्रोफॉर्मा कम्प्युटर से टंकित होना चाहिए ।
4. यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से आता है, तो उसे अपने साथ स्वयं की और नाबालिग बेटे/बेटी की दो स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार की तस्वीरें लानी होंगी। यदि आवेदक डाक द्वारा आवेदन भेजता है, तो उसे सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन भेजना होगा, जिसमें नाबालिग अभिभावक के दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और उसके बेटे / बेटी की फोटो पहचान पत्र की प्रति के साथ एक पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हो।
5. नाम परिवर्तन के प्रकाशन का मुद्रण शुल्क दिनांक 01-04-2016 से रु. 1700/-है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना

चाहिए। प्रवासी भारतीय के लिए दिनांक 01-04-2016 से भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन का मूल्य रु.5100/- है। सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र
चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें।
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।
चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ।
चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दें:-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6. अग्रेषण पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज, मुद्रण शुल्क तथा फोटो पहचान पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे।
8. आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमे यह घोषणा किया जाना चाहिए कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में निहित विषयवस्तु एक समान है। साथ ही उसे यह भी शपथ लेना चाहिए कि आवेदक किसी भी असंगति अथवा पारावहन में हुए नुकसान के लिए स्वयं ज़िम्मेवार होगा।
9. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाहन 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।
10. आई डी प्रूफ के साथ सभी आवेदन स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
11. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।
12. यह विभाग संबन्धित मुद्रणालय में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।
13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग

नाबालिग के नाम परिवर्तन के लिए नमूना प्रपत्र

(विधिवत टाइप किए गए या कम्प्यूटरीकृत प्रिंट-आउट (दो प्रतियां) और एमएस वर्ड में एक सीडी जमा की जानी चाहिए)

मैं..... पुत्र/पत्नी श्री.....

.....निवास स्थान.....

.....

(पदनाम).....में कार्यरत (विभाग/संस्था का नाम).....ने मेरे नाबालिग पुत्र/पुत्री का नाम .....(पुराना नाम).....उम्र .....बदल दिया है और वह आगे .....(नया नाम)..... के नाम से जाना जाएगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध मैं अन्य कानूनी आवाश्यक्ताओं का अनुपालन किया है ।

साक्षी/गवाह:- 1

नाम _____हस्ताक्षर _____

पता_____

_____

मोबाइल संख्या:- _____

साक्षी/गवाह:- 2

नाम _____हस्ताक्षर _____

पता_____

_____

मोबाइल संख्या:- _____

DECLARATION/ UNDERTAKING REGARDING THE GENUINENESS OF DOCUMENTS AND PARTICULARS FURNISHED WITH THE APPLICATION FOR PUBLICATION IN THE GAZETTE OF INDIA

I,..... .....S/o,W/o, D/o..... .....

R/o .....

Marital status ..... declare that:

1. The information and documents furnished by me in connection with my application for publication in the **Gazette of India** are genuine, true, complete and correct. I understand that furnishing any false, forged, fabricated, invalid or incorrect document or information may result in withholding or cancellation of the proposed/earlier Gazette publication and may also attract legal action under the applicable rules. I will be solely responsible for the genuineness, validity and correctness of the documents and particulars furnished by me.

2. If any document or particulars furnished by me to the Department at any stage are found to be false, forged, invalid, incorrect, or otherwise not in order, the processing or publication of my request may be withheld or cancelled, and the Department of Publication shall be at liberty to refer the matter for appropriate legal action against me.

3. I hereby give my consent for the verification of the documents submitted and the particulars furnished by me from the concerned/respective issuing authority or any other competent authority, as may be deemed necessary by the Department of Publication.

4. I further agree that my case may be withheld until receipt of the verification report from the concerned/respective issuing authority and may be forwarded for publication in the Gazette of India only after receipt of the verification reports from the concerned verifying authorities.

Signature:-
Name:-

Fathers/Spouse Name:-

Present Address:-

Mobile No:-
Email id:-

Disclaimer:

Documents submitted in connection with Gazette Notification for change of religion shall be referred to the concerned issuing authority for verification and confirmation of their genuineness and authenticity.

In other cases, where any document submitted appears to be doubtful or raises any suspicion regarding its genuineness, authenticity, or validity, the same may also be referred to the concerned issuing authority for verification, as deemed appropriate.

Further action in such cases shall be taken only upon receipt of the requisite verification report from the concerned issuing authority by this Department.

राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से धर्म परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को उनकी प्रामाणिकता एवं सत्यता की पुष्टि हेतु संबंधित निर्गम प्राधिकारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

अन्य मामलों में, यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होता है अथवा उसकी प्रामाणिकता, सत्यता या वैधता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसे दस्तावेज को भी, यथोचित समझे जाने पर, संबंधित निर्गम प्राधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जा सकता है।

ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई संबंधित निर्गम प्राधिकारी से अपेक्षित सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में प्राप्त होने के उपरांत ही की जाएगी।

14-10-26

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054